कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मैनपुरी।

विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक संख्या–316/एसएलएसए–99/2019(शुभ/हैदर) दिनांकित 29.01.2024 में दिये गयें निर्देश के अनुक्रम में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के पदों पर चयन हेतु बनायी गयी समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम में **डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल** के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।

क्र सं0	पद नाम	रिक्तियों की संख्या	निर्धारित मानदेय	सेवा की अवधि	शैक्षिक योग्यता	आवश्यक आर्हताएं
1	डिप्टी चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल	01	30000/– से 50000/– प्रति माह	अधिकतम 02 वर्ष	विधि स्नातक, उ0प्र0 राज्य बार काउन्सिल द्वारा रजिस्टर्ड।	1.आपराधिक विधि की वकालत का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव. 2. उत्कृष्ट कोटि का .मौखिक व लिखित वार्तालाप की क्षमतायें. 3. फौजदारी कानून की उत्कृष्ट जानकारी. 4. वचाव अधिवक्ता के नैतिक कर्तव्यों की गहरी समझ,दूसरो के साथ प्रभावी और कुशलता से कार्य करने की क्षमता. 5. सत्र न्यायालय में कम से कम 20 आपराधिक विचारण(जिसमें अपील भी सम्मिलित है) का अनुभव। 6. कम्प्यूटर ज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान.

उपरोक्त समस्त पदो के आवेदन के साथ अपना **आयु प्रमाण पत्र (हाईस्कूल प्रमाणपत्र/अंकपत्र), शैक्षिक योग्यता के प्रमाणित प्रतिलिपियां, पासपोर्ट आकार के 3 फोटो, अनुभव प्रमाणपत्र,निवास प्रमाणपत्रो** के साथ आवेदक निर्धारित प्रारूप पर अपने आवेदन की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मैनपुरी के कार्यालय में दिनांक 17.02.2025 की सायं 05:00 बजे तक प्राप्त करा दें। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्त के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए जनपद न्यायालय मैनपुरी की वेबसाइट (https://mainpuri.dcourts.gov.in) से प्राप्त कर सकते है।

नोट–

निर्धारित अभ्यर्थियों से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त होने पर योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा, जिसकी तिथि व स्थान की सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को नियमानुसार दी जायेंगी।

चयनित अभ्यर्थियों का अनुबन्ध 2 वर्ष अथवा उससे कम–अधिक (उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार) के लिये किया जायेगा।

सेवाओं के नियमों का पालन न करने व उसका उल्लंघन करने पर, धनसंबंधी संलिप्तता पाये जाने पर, किसी भी अपराध में अभिशंसित होने पर, राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर, सेवाओं के प्रतिपादन में असमर्थ होने पर व आवश्यकतानुसार सेवा करने में असमर्थ होने पर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुपस्थित होने पर, लिगल एड डिफेन्स से संबंधित पुर्वज्ञान होने पर, अपने पद का स्वयं अथवा किसी अन्य के लिये अनाधिकृत रूप से विशेष लाभ उठाये जाने पर, नैतिक आचार संहिता का अतिक्रमण आदि कियें जाने पर बिना किसी सूचना/नोटिस दियें सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

दिनांक 01.02.2025

(कमल सिंह)
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मैनपुरी।

प्रतिलिपि–1–माननीय सदस्य सचिव, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।

2.जिलाधिकारी, मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कलेक्ट्रेट व अधीनस्थ तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चस्पा कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी को स्थानीय समाचारपत्रों में निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु।

4.केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय, मैनपुरी को जनपद न्यायालय, मैनपुरी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

5. अध्यक्ष/सचिव, जिला सिविल बार एसोसिएशन, मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वह उक्त विज्ञप्ति व आवेदन पत्र का प्रारूप को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।

6. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, दीवानी न्यायालय मैनपुरी को उक्त विज्ञप्ति व आवेदन का प्रारूप जनपद न्यायालय, मैनपुरी व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मैनपुरी।